

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Save Our Daughter And Educate Them – Government Plans)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल

उद्देश्य

- लैंगिक पूर्वाग्रह से युक्त लिंग चयनात्मक उन्मुलन (गर्भपात) को रोकना
- बालिका शिशु के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना
- बालिका शिशु की शिक्षा सुनिश्चित करना

अपेक्षित लाभार्थी

- कन्या भ्रूण
- नवजात कन्या
- बालिका शिशु

मुख्य विशेषताएं

- 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता
- 2016 तक लगभग 50 प्रतिशत नए कस्तूरबा गाँधी बाल विद्यालय चालू करना
- 24 जनवरी को बालिका शिशु दिवस मनाना
- पंचायत गुड्डा-गुड्डी बोर्ड
- निम्न बाल लिंग-अपुपात वाले 100 जिलों में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (पीसी और पीएनडीटी) अधिनियम का प्रवर्तन करना, जागरूकता और समर्थन अभियान तथा बहु-आयामी कार्रवाई करना।
- बालिकाओं के लिए समानता और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सामाजिक एकजुटता और संचार अभियान।
- जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण सक्षम बनाना।
- सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ का ही एक उप-घटक है।
- संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के समग्र मार्गदर्शन और देखरेख में यह योजना लागू की जाएगी।